INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS

Open Access, Refereed JournalMulti Disciplinary
Peer Reviewed Edition :

www.ijlra.com

 ISSN: 2582-6433

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means without prior written permission of Managing Editor of IJLRA. The views expressed in this publication are purely personal opinions ofthe authors and do not reflect the views of the Editorial Team of IJLRA.

Though every effort has been made to ensure that the information in Volume 2 Issue 7 is accurate and appropriately cited/referenced, neither the Editorial Boardnor IJLRA shall be held liable or responsible in any manner whatsever for any consequences for any action taken by anyone on the basis of information in the Journal.

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis

IJLRA

ISSN: 2582-6433

EDITORIAL TEAM

EDITORS

Megha Middha

Megha Middha, Assistant Professor of Law in Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh, Sikar

Megha Middha, is working as an Assistant Professor of Law in Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh, Sikar (Rajasthan). She has an experience in the teaching of almost 3 years. She has completed her graduation in BBA LL.B (H) from Amity University, Rajasthan (Gold Medalist) and did her post-graduation (LL.M in Business Laws) from NLSIU, Bengaluru. Currently, she is enrolled in a Ph.D. course in the Department of Law at Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Rajasthan). She wishes to excel in academics and research and contribute as much as she can to society. Through her interactions with the students, she tries to inculcate a sense of deep thinking power in her students and enlighten and guide them to the fact how they can bring a change to the society

Dr. Samrat Datta

Dr. Samrat Datta Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Samrat Datta is currently associated with Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Datta has completed his graduation i.e., B.A.LL.B. from Law College Dehradun, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. He is an alumnus of KIIT University, Bhubaneswar where he pursued his post-graduation (LL.M.) in Criminal Law and subsequently completed his Ph.D. in Police Law and Information Technology from the Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur in 2020. His area of interest and research is Criminal and Police Law. Dr. Datta has a teaching experience of 7 years in various law schools across North India and has held administrative positions like Academic Coordinator, Centre Superintendent for Examinations, Deputy Controller of Examinations, Member of the Proctorial Board

ISSN: 2582-6433

Dr. Namita Jain

Head & Associate Professor

School of Law, JECRC University, Jaipur Ph.D. (Commercial Law) LL.M., UGC -NET Post Graduation Diploma in Taxation law and Practice, Bachelor of Commerce.

Teaching Experience: 12 years, AWARDS AND RECOGNITION of Dr. Namita Jain are - ICF Global Excellence Award 2020 in the category of educationalist by I Can Foundation, India.India Women Empowerment Award in the category of "Emerging Excellence in Academics by Prime Time & Utkrisht Bharat Foundation, New Delhi.(2020). Conferred in FL Book of Top 21 Record Holders in the category of education by Fashion Lifestyle Magazine, New Delhi. (2020).Certificate of Appreciation for organizing and managing the Professional Development Training Program on IPR in Collaboration with Trade Innovations Services, Jaipur on March 14th, 2019

Mrs.S.Kalpana

Assistant professor of Law

Mrs.S.Kalpana, presently Assistant professor of Law, VelTech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Avadi.Formerly Assistant professor of Law,Vels University in the year 2019 to 2020, Worked as Guest Faculty, Chennai Dr.Ambedkar Law College, Pudupakkam. Published one book. Published 8Articles in various reputed Law Journals. Conducted 1Moot court competition and participated in nearly 80 National and International seminars and webinars conducted on various subjects of Law. Did ML in Criminal Law and Criminal Justice Administration.10 paper presentations in various National and International seminars. Attended more than 10 FDP programs. Ph.D. in Law pursuing.

Avinash Kumar

Avinash Kumar has completed his Ph.D. in International Investment Law from the Dept. of Law & Governance, Central University of South Bihar. His research work is on "International Investment Agreement and State's right to regulate Foreign Investment." He qualified UGC-NET and has been selected for the prestigious ICSSR Doctoral Fellowship.He is an alumnus of the Faculty of Law, University of Delhi. Formerly he has been elected as Students Union President of Law Centre-1, University of Delhi.Moreover, he completed his LL.M. from the University of Delhi (2014-16), dissertation on "Cross-border Merger & Acquisition"; LL.B. from the University of Delhi (2011-14), and B.A. (Hons.) from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. He has also obtained P.G. Diploma in IPR from the Indian Society of International Law, New Delhi.He has qualified UGC – NET examination and has been awarded ICSSR – Doctoral Fellowship. He has published six-plus articles and presented 9 plus papers in national and international seminars/conferences. He participated in several workshops on research methodology and teaching and learning.

ISSN: 2582-6433

ABOUT US

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANLAYSIS ISSN
2582-6433 is an Online Journal is Monthly, Peer Review, Academic Journal, Published online, that seeks to provide an interactive platform for the publication of Short Articles, Long Articles, Book Review, Case Comments, Research Papers, Essay in the field of Law & Multidisciplinary issue. Our aim is to upgrade the level of interaction and discourse about contemporary issues of law. We are eager to become a highly cited academic publication, through quality contributions from students, academics, professionals from the industry, the bar and the bench. INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS ISSN 2582-6433 welcomes contributions from all legal branches, as long as the work is original, unpublished and is in consonance with the submission guidelines.

www.ijlra.com
Volume 2 Issue 7 | Jan 2024
ISSN: 2582-6433

शिक्षक एवम् शिक्षा के समक्ष चुनौतियां

मनोज यादव, शीतल कुशवाह[1]
एलएल.बी. प्रथम वर्ष
विक्रांत विधि संस्थान ग्वालियर (म.प्र.)

“शिक्षक मनुष्य का निर्माता है”|

शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को बड़े स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है तथा इसके साथ ही यह समाज में लोगों के बीच के सभी भेदभावों को हटाने में सहायता करती है| शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास करता है, जिससे वह आगे चलकर देश की उन्नति और विकास में अपना योगदान दे सके| शिक्षक एक माली की तरह होता है और शिक्षा वह खाद्य एवम् पानी है, जिससे बालक रुपी छोटे-छोटे पौधों के सामान उनकी देखभाल एक माली के रूप में करता है, उन्हें हरा भरा रखता है |शिक्षक भी यही कार्य करता है| वह एक शिक्षक ही है जो जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं को पार करता तथा छात्रों को करवाता है| शिक्षक किसी भी छात्र में भेदभाव नहीं करता तथा वह सभी विद्यार्थियों को साथ लेकर चलता है और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है की उसका छात्र हर कठिनाई से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर ले और उसका नाम करे, शिक्षक कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता|

भारत में शिक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती निवेश है| जिसे हम पिछले 5 वर्षो से लगातार कम करते आ रहे है | निवेश कमी के कारण हम शिक्षा के संसाधनों की कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तथा हमारे कुशल एवम् बुद्धिमता से भरपूर शिक्षकों की कमी है | साथ ही शिक्षण पाठ्यक्रम में कौशल विकाश एवम् छात्रों की योग्यता अनुसार विषयों का न होना भी एक चुनौती का विषय है| जिसके कारण छात्र अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते तथा उसके फलस्वरूप वह भारत में वह बेरोजगारी का सामना करते है | हम शिक्षा का विस्तार करते जा रहे है लेकिन हम उसके दुष्परिणाम का सामना करते है, जैसे – शिक्षित बेरोजगारी ,उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट, उपर्युक्त शैक्षणिक प्रशिक्षण का अभाव ,पर विश्व प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की समस्या आदि| हमने कोरोना काल में पूरे विश्व के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ढांचे को पूरी तरह उथल- पुथल होते हुए देखा है| साथ ही इसका प्रभाव हमारे शिक्षा के क्षेत्र पर भी पढ़ा | हमारे शिक्षा के संसाधन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को बंद करना पड़ा | क्योंकि हमारे पास आपात कालीन परिस्थितियों में अपनी शिक्षा प्रणाली को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए पहले से कोई उपर्युक्त संसाधन नहीं थे, जिसके कारण हमारी शिक्षा प्रणाली अत्यधिक प्रभावित हुई |

[1] एलएल.बी. द्वितीय सेमेस्टर, विक्रांत इंस्टिट्यूट ऑफ़ लॉ, ग्वालियर (म.प्र.), एलएल.बी. द्वितीय सेमेस्टर, विक्रांत इंस्टिट्यूट ऑफ़ लॉ , ग्वालियर (म.प्र)

ISSN: 2582-6433

परिचय :- "शिक्षक एवम् शिक्षा के समक्ष चुनौतियां" हमारे भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी |प्राचीन कल में शिक्षा दो प्रकार की होती थी | अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा हमेशा मंदिरों, आश्रमों और गुरुकुलों में दी जाती थी |तथा यही उस समय उच्च शिक्षा माध्यम हुआ करते थे |अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम परिवार, पुरोहित, पंडित, सन्यासी आदि हुआ करते थे |हम वर्तमान में भी गुरुकुल पद्धति का प्रयोग शिक्षा के लिए करते है, जिन्हें हम वर्तमान में विद्यालय कहते हैं |प्राचीन काल के मुकाबले वर्तमान में हम अपने विद्यालय को संचालन करने में असफल होते जा रहे है जिसके कारण हमारे छात्रों का झुकाव निजी संस्थानों की और बढता जा रहा है| |वर्तमान के शिक्षक स्वयं अंधकार में होते है | शिक्षकों के समक्ष सबसे बड़ी परेशानी उनके चयन होने के समय आती है |कई ऐसे शिक्षक चयनित हो जाते है जिनको शैक्षणिक कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं होती तथा वह सिर्फ नौकरी के लिए इस परिवेश में आ जाते है | जिसके कारण कई योग्य शिक्षकों को उनकी मंजिल नहीं मिल पाती | हमारी चयन पद्धति में अनेकों सुधारों के पश्चात भी अब भी बहुत सी खामियां है | जिसका परिणाम हम शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षकों की कमी के रूप में रूप में देखते हैं | शिक्षा के क्षेत्र में हमें अन्य देशों के मुकाबले निवेश बहुत कम मिल पाटा है, जिसके कारण हम निजी संस्थानों के मुकाबले योग्य एवम् अनुभवी शिक्षकों का चयन नहीं कर पाते | पिछले 5 वर्षों में शिक्षा के लिए निवेश में लगातार कमी करते आ रहें है| जिसके कारणवश हम विद्यालयों में उचित प्रबंध नहीं कर पाते |

साहित्य की समीक्षा :

सुयोग्य एवम् अनुभवी शिक्षकों का अभाव –

हमारे स्कूलों और कॉलेजों में ज्यादातर शिक्षक शैक्षणिक योग्यता और पूर्ण रूप से योग्य नहीं रहते | छात्रों की किसी भी प्रकार शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती ,इससे छात्रों को अपना आगे का भविष्य तय करने में परेशानी होती है | हर स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति होती है तथा छात्रों को सीखने के नाम पर कुछ नहीं मिलता |

सावधिक निरीक्षण (Time to Time inspection)-

ग्रामों में स्कूल होने से समय पर स्कूलों में निरीक्षण नहीं हो पाते हैं और इस वजह से स्कूलों में शिक्षक अपनी मनमानी करते हैं तथा नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन नहीं करते| नियमित रूप से निरीक्षण से शिक्षकों को भय रहेगा तथा नियमित रूप कक्षाओं का संचालन हो सकेगा | निरीक्षण हमेशा बिना जानकारी के होना चाहिए |जिसके कारण हमें स्कूलों में फैली कुरीतियों का सही पता चलेगा एवम् स्कूलों में बेहतर प्रबंध हो सकेगा|

स्कूलों में बेहतर प्रबंधन न होना –

हमारे देश में स्कूलों और कॉलेजों का प्रबंधन बहुत कमजोर है |जिसके कारण छात्रों की संख्या में कमी होती जा रही है | हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की बहुत दुर्दशा है ,जिसके कारण छात्रों की रुचि निजी संस्थानों की ओर अधिक है |शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निवेश की कमी भी एक मुख्य कारण है , जिसकी वजह से हम योग्य शिक्षकों का चयन नहीं कर पाते| योग्य शिक्षक एवम् स्कूलों में प्रबंधन ढांचे की असफलता के कारण कोई व्यक्ति अपने बच्चों को

ISSN: 2582-6433

सरकारी संस्थानों में प्रवेश नहीं दिलाता| अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश का शैक्षणिक विकाश बहुत धीमे चल रहा है |

स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

- मानव संसाधन विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. सत्यनारायण जटिया) ने 8 फरवरी, 2017 को 'भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां और समस्याएं' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में हैदराबाद, चंडीगढ़, पटियाला, तिरुअनंतपुरम, उदयपुर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भोपाल और इंदौर में उच्च शिक्षा संस्थानों पर अध्ययन करने के बाद भारत में उच्च शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों की पड़ताल की गई है। कमिटी ने उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भी विमर्श किया।
- कमिटी के प्रमुख निष्कर्ष और सुझाव निम्न हैं:

संसाधनों की कमी: उच्च शिक्षा में अधिकतर भर्तियां राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों द्वारा की जाती हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से इन राज्य विश्वविद्यालयों को कम अनुदान मिलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बजट का 65% हिस्सा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों को मिलता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को शेष 35% ही प्राप्त होता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि राज्य विश्वविद्यालयों में दूसरे माध्यमों से फंड्स के मोबिलाइजेशन का प्रयास किया जाना चाहिए जैसे शिक्षा क्षेत्र, पूर्व विद्यार्थियों द्वारा चंदा, योगदान, इत्यादि।

- **शिक्षकों की रिक्तियां**: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार, विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों के क्रमशः 16,699, 4,731 और 9,585 स्वीकृत पद हैं। इनमें प्रोफेसरों के 5,925 (35%), एसोसिएट प्रोफेसरों के 2,183 (46%) और असिस्टेंट प्रोफेसरों के 2,459 पद (26%) रिक्त हैं।

कमिटी ने इन रिक्तियों के दो कारण बताए: (i) युवा विद्यार्थियों को शिक्षण का पेशा आकर्षक नहीं लगता, या (ii) भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी है और इसमें प्रक्रियागत औपचारिकताएं बहुत अधिक हैं। भर्ती प्रक्रिया पद के रिक्त होने से पहले ही शुरू कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षण के पेशे को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए फैकेल्टी को कंसल्टेंसी प्रॉजेक्ट्स चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और स्टार्ट-अप्स के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना चाहिए।[2]

2

ISSN: 2582-6433

- **शिक्षकों की जिम्मेदारी और प्रदर्शन:** वर्तमान में, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जिम्मेदारी और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। इसकी बजाय विदेशी विश्वविद्यालयों में कॉलेज फैकेल्टी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके सहकर्मियों और विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में विद्यार्थियों और सहकर्मियों द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर प्रोफेसरों के प्रदर्शन के ऑडिट की एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त समय-समय पर दूसरे इनपुट्स जैसे रिसर्च पेपर, शिक्षकों के पब्लिकेशंस को भी प्रदर्शन ऑडिट में जोड़ा जाना चाहिए।
- **रोजगार परक कौशल का अभाव:** तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों में रोजगारपरक कौशल का अभाव देखा जा सकता है। कमिटी ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल अंतराल की पहचान करने और उनमें रोजगारपरकता के लिए पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में कुछ रणनीतियां इस प्रकार हो सकती हैं: (i) इंडस्ट्रीज़ इंस्टीट्यूट स्टूडेंट ट्रेनिंग सपोर्ट, (ii) इंडस्ट्रियल चैलेंज ओपेन फोरम, (iii) लॉन्ग टर्म स्टूडेंट इंडस्ट्रीज़ प्लेसमेंट स्कीम, और (iv) इंडस्ट्रियल फिनिशिंग स्कूल्स।

  संस्थानों का एक्रेडेशन: कमिटी ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को एक्रेडेशन देना उच्च शिक्षा के रेगुलेटरी अरेंजमेंट्स का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों को तकनीकी शिक्षा के बुनियादी न्यूनतम मानकों की गारंटी देनी चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कोटि की श्रम शक्ति की मांग को पूरा किया जा सके। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडेशन को उच्च तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने और गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करने के लिए कैटेलिस्ट के तौर पर काम करना चाहिए।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिष्ठित उद्योग संगठनों, मीडिया घरानों और पेशेवर निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को रेटिंग दें। एक सुदृढ़ रेटिंग प्रणाली से विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उनके प्रदर्शन में सुधार होगा।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनः प्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है|

www.ijlra.com
Volume 2 Issue 7 | Jan 2024
ISSN: 2582-6433

शिक्षा में लचीले पन का अभाव –

हमारी शिक्षा नीति इतनी कठोर होती है, जिसके कारण हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं कर सकते । जिसके परिणाम स्वरूप हम परीक्षाओं में नकल प्रकरण जैसे मामलों को अपने समक्ष पाते हैं| पाठ्यक्रम की कठोरता के कारण छात्रों में पड़ने की रुचि समाप्त होती जा रही है, तथा वह सिर्फ प्राथमिक शिक्षा को अच्छी ग्रेड से पास करना चाहते हैं| हर कोई अब सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की और आकर्षित होता जा रहा हैं क्योंकि वह बहु विषयक होती है।

BBC India 2013 की रिपोर्ट[3] के अनुसार भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये गए थे जो निम्न हैं-

1. भारत में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले 9 छात्रों में से सिर्फ एक ही छात्र कॉलेज में प्रवेश कर पाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले छात्रों की संख्या 11 फीसदी (कुल संख्या का) है।
2. उच्च शिक्षा में रजिस्ट्रेशन के अनुपात को 15 फीसदी तक बढ़ाने के लिए 2,26,410 करोड़ रुपयों के निवेश की आवश्यकता थी ।जबकि 11वीं योजना के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ 77,933 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया।
3. भारतीय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवम् प्रत्यापन परिषद के शोध के अनुसार भारत के 90 फीसदी कॉलेजों और 70 फीसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमजोर है।
4. भारत में अच्छे शिक्षण संस्थानों की कमी के कारण अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए कट ऑफ़ का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कई छात्रों को उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाता।
5. अध्ययन बताता है कि भारत में सेकेंड्री स्कूल में अच्छे अंक लाने के दबाव से छात्रों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।

NDTV इंडिया (2017) की रिपोर्ट के अनुसार हम भारत की स्कूली शिक्षा और उस पर लोक व्यय पर नजर डालते हैं –

पांचवी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा अपना नाम भी नहीं लिख पा रहा है.

- विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं, यदि नियुक्त हैं, तो आते नहीं हैं. आते भी हैं, तो उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करके वापस चले जाते हैं.
- विद्यालय हैं, किन्तु एक ही कमरे में तीन या चार कक्षाएं चल रही हैं.

[3] रेहान फ़जल, बीबीसी न्यूज़ हिंदी, 2013, भारतीय उच्च शिक्षा: 10 तथ्य, सैकड़ों सवाल

www.ijlra.com
Volume 2 Issue 7 | Jan 2024
ISSN: 2582-6433

- एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट दस साल से जारी हो रही है. हर बार यह रिपोर्ट बताती है कि पंचमी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी का पाठ नहीं पढ़ पाते हैं. आठवीं के बच्चों को जोड़ना–घटाना–भाग देना नहीं आता है. इस साल की यही रिपोर्ट कहती है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 42.3 प्रतिशत बच्चे कक्षा एक की सामग्री पढ़ पाते हैं.
- कक्षा आठ में पढ़ने वाले 73.1 प्रतिशत कक्षा दो की सामग्री पढ़ पाते हैं.
- कक्षा तीन के 27.7 प्रतिशत बच्चे दो अंकों वाला घटाना कर पाते हैं, जबकि कक्षा पांच के 26 प्रतिशत बच्चे ही सामान्य भाग दे पाते हैं.

सचमुच हम समाज को शिक्षित नहीं बना पा रहे हैं. स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है. आखिर यह स्थिति खराब क्यों है? क्या शिक्षक नहीं चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित इंसान न बनें? जब दशकों से सरकारों को यह पता है कि स्कूलों में शौचालय नहीं हैं या पीने का पानी नहीं या शिक्षक नहीं हैं, तो फिर भी स्थिति क्यों नहीं बदली? स्थिति इसलिए नहीं बदलती क्योंकि शिक्षा का मामला राजनीति और नीति के स्तर पर जुबानी प्रतिबद्धता का विषय है, क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता का नहीं.

इस पर भी पिछले 26 सालों में हमारी सरकारों ने मान लिया है कि शिक्षा का निजीकरण (शिक्षा एक मुनाफा देने वाला बाज़ार है) ही सबसे उचित विकल्प है. संविधान के भीतर मौलिक अधिकार बनने के बावजूद, इस विषय को सबसे ज्यादा सरकारों ने ही नज़रअंदाज़ किया है. सरकारें एक सौ रूपये में से केवल 25 पैसे निगरानी और निरीक्षण पर और 40 पैसे शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खर्च करती हैं. भारत में बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में ही अभी 5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, जबकि 1.05 लाख सरकारी स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे पर हैं.

इन सब बातों का मतलब यह नहीं है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बंद कर दिया जाए. इस विश्लेषण का मकसद यह है कि हम लोक शिक्षा को मजबूत, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में आगे बढ़ें.

अबसे कुछ दिनों पहले (दिसंबर 2016 में) सेंटर फार बजट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) ने चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राय) के सहयोग से भारत में शिक्षा पर लोक व्यय पर एक बहुत गंभीर अध्ययन जारी किया. यह अध्ययन बताता है कि भारत के राज्यों में वास्तव में स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर सरकारों की तरफ से कितनी राशि खर्च की जा रही है?[4]

- ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों की संख्या में कमी
- स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के लिए संसाधनों की कमी
- स्कूलों में अनुसंधान की सामग्री

[4] Sachin jain, NDTV INDIA, 2013, भारत में स्कूली शिक्षा और लोक व्यय पड़ताल

नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण, शिक्षक एवम् शिक्षा सुधार के संदर्भ में–

अध्याय 3[5] छात्रों तक शिक्षा को पहुंचना

अध्याय 5 [6]में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर निम्न बिंदुओं पर दिया गया है-

भर्ती और पदस्थापन, सेवा काल के दौरान कार्य-संस्कृति और वातावरण ,सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी), कॅरियर मैनेजमेंट और प्रगति (सीएमपी) , शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक ,विशिष्ट शिक्षक, शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण,

अध्याय 9[7] अनुसार महाविद्यालयों एवम् विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार ।

अध्याय 11 [8]समग्र एवम् विषयों का बहुविकल्पीय होना ।

अध्याय 12[9] छात्रों को सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करवाना।

अध्याय 20[10] छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा पर जोर।

हमारे शिक्षा क्षेत्र की कमियों को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया है । जिसके आने के पश्चात् हमारे शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा । हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कमजोरी है निवेश जिसे हम साल दर साल कम करते आ रहे है । जिसके कारण हम शिक्षा के जरूरी संसाधनों की पूर्ति नहीं कर पाते । हमें अपने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले निवेश में बढोत्तरी करनी होगी तभी हम उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर पायेंगे। जब तक हमारे पास पर्याप्त निवेश नहीं होगा तब तक न तो हम अच्छे शिक्षकों की भारती कर पायेंगे और न ही अन्य प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण कर पायेंगे। अपने शैक्षणिक क्षेत्र को नवीन द्रष्टि देने के लिए निवेश में बढोत्तरी करनी होगी।

IJLRA

[5] अध्याय 3, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
[6] अध्याय 5, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
[7] अध्याय 11, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
[8] अध्याय 12, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
[9] अध्याय 20, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
[10]